"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 27, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री विजयेन्द्र, भा. प्र. से. (एएम : 1991) सचिव, वित्त विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-6/2009/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दर्शाये गए नगरीय निकायों (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों) के आम चुनाव तथा दुर्ग जिले में नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 13, नगरपालिका परिषद् भिलाई चरौदा के वार्ड क्रमांक 23 एवं जामुल के वार्ड क्रमांक 04 के उपचुनाव के सिलसिले में मतदान की तिथि क्रमशः सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 एवं बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1-6/2009/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, उपरोक्तानुसार नगरीय निकायों के आम चुनाव/उप चुनाव के सिलसिले में यह भी घोषित करता है कि मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 एवं बुधवार दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को मतदान करने के लिए संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दर्शाये गए क्षेत्रों में सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट "क"

मतदान के प्रथम चरण (सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009) में सम्मिलित नगरीय निकायों की सूची

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	बिलासपुर	नगर पालिका परिषद्, मुंगेली	21
		नगर पंचायत, कोटा	15
		नगर पंचायत, रतनपुर	15
		नगर पंचायत, पेण्ड्रा	15
		नगर पंचायत, बिल्हा	15
		नगर पंचायत, लोरमी	15
		नगर पंचायत, तखतपुर	15
		नगर पंचायत, गौरेला	15
		नगर पंचायत, पथरिया	15
		नगर पंचायत, मल्हार	15
		योग	**156**
2.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत, डभरा	15
		नगर पंचायत, चन्द्रपुर	15
		नगर पंचायत, सारागांव	15
		नगर पंचायत, नवागढ़	15
		नगर पंचायत, राहौद	15
		नगर पंचायत, खरौद	15
		नगर पंचायत, नयाबाराद्वार	15
		नगर पंचायत, शिवरीनारायण	15
		नगर पंचायत, बलौदा	15
		नगर पंचायत, अड़भार	15
		नगर पंचायत, ज़ैजेपुर	15
		योग	**165**

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	कोरबा	नगर पंचायत, पाली	15
		नगर पंचायत, छुरीकला	15
		नगर पालिका परिषद्, दीपका	18
		नगर पंचायत, कटघोरा	15
		योग	63
4.	सरगुजा	नगर पंचायत, राजपुर	15
		नगर पंचायत, प्रतापपुर	15
		नगर पंचायत, वाड्रफनगर	15
		नगर पंचायत, जरही	15
		नगर पंचायत, विश्रामपुर	15
		नगर पंचायत, सीतापुर	15
		नगर पंचायत, रामानुजगंज	15
		नगर पंचायत, कुसमी	15
		नगर पंचायत, बलरामपुर	15
		योग	135
5.	कोरिया	नगर पंचायत, खोंगापानी	15
		नगर पंचायत, नईलेदरी	15
		नगर पालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़	21
		नगर पंचायत, झगराखाड़	15
		योग	66
6.	रायगढ़	नगर पंचायत, सरिया	15
		नगर पंचायत, बरमकेला	15
		नगर पंचायत, किरोड़ीमलनगर	15
		नगर पंचायत, पुसौर	15
		नगर पंचायत, घरघोड़ा	15
		नगर पालिका परिषद्, खरसिया	18
		योग	93
7.	जशपुर	नगर पालिका परिषद्, जशपुर	18
		नगर पंचायत, बगीचा	15
		योग	33
8.	रायपुर	नगर पालिका परिषद्, बलौदाबाजार	18
		नगर पंचायत, आरंग	15
		नगर पंचायत, खरौरा	15
		नगर पंचायत, लवन	15
		नगर पंचायत, राजिम	15
		नगर पंचायत, पलारी	15

(1)	(2)	(3)	(4)
		नगर पंचायत, फिंगेश्वर	15
		नगर पंचायत, माना केम्प	15
		नगर पंचायत, छुरा	15
		नगर पंचायत, बिलाईगढ़	15
		नगर पालिका परिषद्, भाटापारा	27
		नगर पालिका परिषद्, गोबरानवापारा	18
		नगर पालिका परिषद्, तिल्दा नेवरा	18
		नगर पंचायत, सिमगा	15
		नगर पंचायत, भटगांव	15
		नगर पंचायत, अभनपुर	15
		नगर पंचायत, कसडोल	15
		नगर पंचायत, गरियाबंद	15
		नगर पंचायत, टूंडरा	15
		नगर पंचायत, कुरा	15
		योग	321
9.	महासमुन्द	नगर पंचायत, सरायपाली	15
		नगर पंचायत, पिथौरा	15
		नगर पंचायत, तुमगांव	15
		योग	45
10.	धमतरी	नगर पंचायत, मगरलोड	15
		नगर पंचायत, आमदी	15
		नगर पंचायत, भखारा	15
		नगर पंचायत, नगरी	15
		योग	60
11.	दुर्ग	नगर पालिका परिषद्, बालोद	18
		नगर पालिका परिषद्, दल्लीराजहरा	27
		नगर पंचायत, अर्जुन्दा	15
		नगर पंचायत, डौण्डीलोहारा	15
		नगर पंचायत, डौण्डी	15
		नगर पंचायत, चिखलाकसा	15
		नगर पंचायत, गुरूर	15
		नगर पंचायत, गुण्डरदेही	15
		नगर पंचायत, नवागढ़	15
		नगर पंचायत, साजा	15
		नगर पंचायत, परपोड़ी	15
		नगर पंचायत, थानखम्हरिया	15
		योग	195

(1)	(2)	(3)		(4)
12.	राजनांदगांव	नगर पालिका परिषद्, डोंगरगढ़		21
		नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी		15
		नगर पंचायत, गण्डई		15
		नगर पंचायत, डोंगरगांव		15
		नगर पंचायत, छुईखदान		15
		नगर पंचायत, छुरिया		15
			योग	96
13.	कबीरधाम	नगर पालिका परिषद्, कवर्धा		21
			योग	21
14.	बस्तर	नगर पालिका परिषद्, कोण्डागांव		18
		नगर पंचायत, केशकाल		15
		नगर पंचायत, बस्तर		15
			योग	48
15.	कांकेर	नगर पंचायत, पखांजुर		15
		नगर पंचायत, अंतागढ़		15
			योग	30
16.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, सुकमा		15
		नगर पंचायत, गीदम		15
		नगर पंचायत, दंतेवाड़ा		15
			योग	45
17.	बीजापुर	नगर पंचायत, बीज़ापुर		15
			योग	15

परिशिष्ट "ख"

मतदान के द्वितीय चरण (बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009) में सम्मिलित नगरीय निकायों की सूची

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	बिलासपुर	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	55
		नगर पंचायत, बोदरी	15
		नगर पंचायत, संकरी	15
		नगर पंचायत, सिरगिट्टी	15

(1)	(2)	(3)	(4)
		नगर पंचायत, तिफरा	15
		नगर पंचायत, सरगांव	15
		योग	130
2.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, चांपा	21
		नगरपालिका परिषद्, जांजगीर नैला	21
		नगरपालिका परिषद्, अकलतरा	18
		नगरपालिका परिषद्, सक्ती	18
		योग	78
3.	कोरबा	नगर पालिक निगम, कोरबा	58
		योग	58
4.	सरगुजा	नगर पालिक निगम, अंबिकापुर	40
		नगरपालिका परिषद्, सूरजपुर	15
		नगर पंचायत, भटगांव	15
		नगर पंचायत, लखनपुर	15
		योग	85
5.	कोरिया	नगर पालिक निगम, चिरमिरी	40
		योग	40
6.	रायगढ़	नगर पालिक निगम, रायगढ़	40
		नगर पंचायत, धर्मजयगढ़	15
		नगर पंचायत, लैलूंगा	15
		योग	70
7.	जशपुर	नगर पंचायत, कुनकुरी	15
		नगर पंचायत, कोतबा	15
		नगर पंचायत, पत्थलगांव	15
		योग	45
8.	रायपुर	नगर पालिक निगम, रायपुर	70
		योग	70

(1)	(2)	(3)		(4)
9.	महासमुन्द	नगरपालिका परिषद्, महासमुंद		24
		नगर पंचायत, बसना		15
		नगर पंचायत, बागबहरा		15
			योग	54
10.	धमतरी	नगरपालिका परिषद्, धमतरी		36
		नगर पंचायत, कुरूद		15
			योग	51
11.	दुर्ग	नगर पालिक निगम, दुर्ग		58
		नगरपालिका परिषद्, कुम्हारी		24
		नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा		18
		नगर पंचायत, धमधा		15
		नगर पंचायत, अहिवारा		15
		नगर पंचायत, उतई		15
		नगर पंचायत, पाटन		15
		नगर पंचायत, देवकर		15
		नगर पंचायत, बेरला		15
			योग	190
12.	राजनांदगांव	नगर पालिक निगम, राजनांदगांव		45
			योग	45
13.	कबीरधाम	नगर पंचायत, पण्डरिया		15
		नगर पंचायत, बोड़ला		15
		नगर पंचायत, पाण्डातराई		15
		नगर पंचायत, सहसपुरलोहारा		15
		नगर पंचायत, पिपरिया		15
			योग	75
14.	बस्तर	नगर पालिक निगम, जगदलपुर		40
		नगर पंचायत, फरसगांव		15
			योग	55
15.	कांकेर	नगरपालिका परिषद्, कांकेर		18
		नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर		15
		नगर पंचायत, चारामा		15
			योग	48

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	दंतेवाड़ा	नगरपालिका परिषद्, किरंदुल	18
		नगरपालिका परिषद्, बचेली	18
		नगर पंचायत, बारसूर	15
		नगर पंचायत, दोरनापाल	15
		योग	**66**
17.	नारायणपुर	नगर पंचायत, नारायणपुर	15
		योग	**15**

टीप :— उपरोक्त के अतिरिक्त बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को दुर्ग जिले में नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 13, नगरपालिका परिषद् भिलाई, चरौदा के वार्ड क्रमांक 23 एवं जामुल के वार्ड क्रमांक 04 के उपचुनाव भी मतदान के द्वितीय चरण में शामिल हैं.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला उ. ब. कांकेर को दिनांक 03-11-2009 से 05-11-2009 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला उ. ब. कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से., आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को दिनांक 16-10-2009 से 28-10-2009 तक (13 दिवस का) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 25-11-2009 से 27-11-2009 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री राधाकृष्णन के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. सी. सिन्हा, भाप्रसे, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 04-12-2009 से 11-12-2009 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/05/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004) को The All India Services (Leave) Rules, 1955 के नियम 8 के अंतर्गत दिनांक 20-08-2009 से दिनांक 01-01-2010 तक कुल 135 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/02/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ. पी. पॉल, भापुसे (2003), सेनानी 4थीं वाहिनी, छ. स. बल, माना, रायपुर, छ. ग. को पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गृह ग्राम बस्ती, उत्तरप्रदेश जाने हेतु दिनांक 30-11-2009 से दिनांक 11-12-2009 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 28, 29 नवंबर 2009 तथा दिनांक 12, 13 दिसंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री ओ. पी. पॉल, भापुसे (2003) सेनानी 4थीं वाहिनी, छ. स. बल, माना, रायपुर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. पॉल, भापुसे (2003), सेनानी 4थीं वाहिनी, छ. स. बल, माना, रायपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ. पी. पॉल, भापुसे (2003), सेनानी 4थीं वाहिनी, छ. स. बल, माना, रायपुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/10/दो गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007), सहायक पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छ. ग. को स्वयं के विवाह के लिए दिनांक 24-11-2009 से दिनांक 23-12-2009 तक कुल 30 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007), सहायक पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007), सहायक पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007), सहायक पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

क्रमांक/69/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04 अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खट्टीडीह प. ह. नं. 139/86	0.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	खट्टीडीह शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/01/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	पीपरखार	0.08	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पुल निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 नवम्बर 2009

क्रमांक 04 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कल्याणपुर प.ह.नं. 03	0.405	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा (छ. ग.)	कर्रानाला जलाशय योजना के डूबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्रमांक 02 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कोटमीसोनार प.ह.नं. 04	0.405	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा (छ. ग.)	कर्रानाला जलाशय योजना के डूबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

क्रमांक/6311/भू-अर्जन/कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1365	0.30
	1366	0.31
योग		0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कांकेर भानुप्रतापपुर-संबलपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सुकलीभाठा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292	0.20
324	0.16
323	0.19
335/1	0.30
336	0.10
332	0.33
330	0.13
329	0.70
352/2	0.60
360	0.42
367	0.07
योग 11	3.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय के उलट नाली एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ/82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-कोण्ड़ेकेला, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153	0.06
149	0.08
148	0.12
152	0.12
151	0.10
142	0.20
150	0.09
138/1	0.12
138/3	0.14
138/5	0.07
196	0.20
199	0.05
200	0.08
213/1	0.11
201	0.09
209	0.07
212	0.08
215/1	0.16
216	0.16
793	0.15
487/1	0.02
487/2	0.02
488/1	0.18
777	0.04
782	0.05

	(1)	(2)
	792	0.03
	789	0.05
	794	0.03
	811/2	0.08
	813	0.03
योग	30	2.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटरी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर नाली निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-गिरसुल, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.92 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	75	0.16
	113	0.06
	76	0.01
	112	0.02
	146	0.01
	143	0.04
	161	0.06
	158	0.15
	159	0.15
	167	0.22
	169	0.02
	166	0.08
	170	0.10
	171	0.09
	175	0.10
	176	0.22
	298	0.09
	296	0.15
	118	0.05
	119	0.09
	120	0.04
	121	0.09
	129	0.08
	123	0.15
	127	0.08
	130/2	0.04
	135	0.10
	136	0.11
	138	0.03
	139	0.16
	302	0.08
	301	0.09
योग	32	2.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गिरसुल व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर नाली निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 अ/82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-देवभोग

(ग) नगर/ग्राम-बाड़ीगांव, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	110	0.04
	107	0.28
	115	0.07
	109	0.04
	119	0.21
	136	0.06
	137	0.11
	138	0.26
	139/4	0.18
	152	0.38
	558	0.06
	560	0.19
	561	0.04
	571	0.11
	568	0.13
	570	0.15
	567	0.10
	629	0.28
	624	0.11
	622	0.21
	623	0.34
	617	0.06
	151	0.05
	156	0.03
	559	0.01
योग	25	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गिरसुल व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर नाली निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-बरेड़ीमुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	22	0.05
योग	1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कोरबा द्वारा बुस्टर पंप हाऊस विस्तार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-झोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.62 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	370/1	0.66
	372	0.18
	373	0.08
	374	0.60
	375	0.49
	376	0.08
	377/1	0.56
	377/2	0.02
	377/3	0.02
	377/4	0.02
	381/1	0.03
	381/2	0.03
	381/3	0.03
	381/4	0.03
	382/1	0.04
	382/2	0.04
	382/3	0.03
	382/4	0.03
	412	0.06
	413/1	0.08
	413/2	0.14
	415/1	0.07
	415/2	0.07
	415/3	0.08
	418	0.15
योग	25	3.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कोरबा द्वारा राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-छुरीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
207/4	1.50
210	0.28
212	0.60
213	0.36
214	0.55
215	0.32
216	0.05
217	0.79
218	0.16
219	0.26
220	0.02
221	0.58
222	0.33
223	0.31
224	0.15
225	0.05
226	0.04
227	0.04
228/2	0.35
228/3	1.50
228/4	1.00
229	0.28
230	0.22
231	0.40
232	0.48
233/1	0.07
233/2	0.07
234/1	0.30

(1)	(2)
234/2	0.68
235	0.16
236	0.16
238	0.08
239	0.08
240	0.14
241	0.18
242	0.28
243	0.08
244	0.20
245/2	1.50
245/3	1.00
245/4 क	0.50
245/4 ख	0.50
245/4 ग	0.50
245/5	1.50
247/1	1.22
247/2	0.70
248	0.10
249	0.14
250	0.32
251/1	0.10
251/2	0.62
251/3	0.72
251/4	0.55
251/5 क	0.27
251/5 ख	0.18
259/5	0.08
251/6	0.50
251/7	0.06
252	0.18
259/7	0.22
253/1	0.58
253/2	1.80
254	0.34
255	0.20
256	0.05
257	0.62
258/2	0.13
258/1, 259/6	0.12
258/3	0.12
259/1	0.99
259/2	0.20
259/3	0.10
259/4	0.08
259/8	0.24
259/9	0.09
259/10	0.34
259/11	0.10
261/2	0.12
260	0.17
261/1	1.09
260	0.17
261/1	1.09
262	0.22
317	0.79
319/1	0.03
319/2	0.30
320/1	0.34
320/2	0.30
320/3	0.22
321/2	0.10
321/3	0.40
321/4	0.32
321/5	0.19
321/6	0.19
321/7	0.22
322/2	0.10
323/2	0.22
323/5 क	0.19
323/5 ख	0.19
323/8	0.06
323/12	0.50
323/14	0.50
323/16	0.30
323/17	0.30
323/18	0.31
324/1	0.13
324/2	0.12
324/3	0.12
324/4	0.13
329/2	0.10
576/2	0.30
577/1	2.57
577/2	0.91
577/3	0.16
योग 104	42.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड कोरबा द्वारा राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2009/3630.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा. मा. क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
4	2/बी/96/2002-03	श्री अंगद तिवारी वल्द गजानंद तिवारी	पी. एस. 3 दुकान रायपुर जिला समूह	2002 – 2003	4,37,500/-

वाय मेश्राम,
अति. तहसीलदार (आबकारी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

क्रमांक 12831/अधीक्षक/2009.—कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 7584/राजस्व/2009 बिलासपुर दिनांक 24 नवंबर 2009 के परिप्रेक्ष्य में कोरबा जिले में डायव्हर्सन एवं अन्य राजस्व वसूली में कमी एवं प्रकरण लंबित रखने के संबंध में परीक्षण करने पर पाया गया कि अनुविभागीय कोरबा में डायव्हर्सन के 207 अपंजीकृत एवं 1 पंजीकृत प्रकरण तथा अनुविभाग कटघोरा में डायव्हर्सन के 468 अपंजीकृत एवं 20 पंजीकृत प्रकरण लंबित है. इस प्रकार जिले में डायव्हर्सन के कुल 696 प्रकरण लंबित होना पाया गया है. काफी बड़ी मात्रा में डायव्हर्सन के प्रकरण लंबित रहने से राजस्व की हानि होना स्वाभाविक है. जिसे रोका जाकर निराकरण किया जाना आवश्यक है, ताकि राजस्व की हानि न हो.

अत: छ. ग. भू. रा. सं. 1959 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 22 के तहत अनुविभाग कटघोरा एवं अनुविभाग कोरबा के डायव्हर्सन प्रकरणों के निराकरण हेतु आगामी आदेश पर्यन्त श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा को भारसाधक अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (डायव्हर्सन) कोरबा/कटघोरा नियुक्त किया जाता है.

ए. के. अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th December 2009

No. 178/L. G./2009/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 06 days from 21-12-2009 to 26-12-2009 and permission to prefix holidays of 18th to 20th December, 2009 and suffix holidays of 27th & 28th December, 2009 along with permission to remain out of headquarters after the office hours on 17-12-2009 till 28-12-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 4th December 2009

No. 180/L. G./2009/II-2-7/2009.—Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 05 days from 07-12-2009 to 11-12-2009 and permission to prefix holiday of 06-12-2009 & suffix holidays from 12-12-2009 to 13-12-2009 along with the permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

क्रमांक 141/दो-2-21/2005.—श्रीमति माधुरी कातुलकर, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-07-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

क्रमांक 142/दो-2-11/2004.—श्री इंदर सिंह उब्बोवेजा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-08-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.